

प्रपत्र-3

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट-रौंथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण निर्माण कार्य । (लम्बाई 0.000 से 7.075 किमी0)

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

Subh
JE

Sandy
प्रमुख आभियन्ता
लाक निर्माण विभाग
धारचूला (अरुणाचल)

ह0/-

[Signature]
प्रयोक्ता एजेन्सी
पिथौरागढ़ जिला
निर्माण खण्ड लो0वि0
अरुणाचल (पिथौरागढ़)

प्रेषक,

एसओएसओ टोलिया,
संगुप्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 24 जून 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में गा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या:-002/2017 के अन्तर्गत जंगम पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र-घारघूला में दोबाट रांथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता(पिथौरा), लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणन, जिसकी कुल लम्बाई 7.0750 कि०मी० एवं लागत ₹ 206.69 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 206.41 लाख (२ दो करोड़ छः लाख इकतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (२ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके नियंत्रण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नादिता शर्तों के अधीन राहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शारानादेश सं०:-1784/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शीडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नज़र रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोव्हीसमेंट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त थजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शारानादेश सं०:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) उपरान्त स्वीकृत आगणन में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कों-337-सड़क निर्माण कार्य-04-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि

अधिसूचना-00-24 वृत्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित प्राप्ति व्ययक में प्राविष्टावधि तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिसूचारी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अनुमान की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2020 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष गालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्य में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त राखी जायेगी।

(xii) विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.10 लाख का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22, के अन्तर्गत अलॉटमेंट आईडी० संख्या- S19070220007 दिनांक 23 जुलाई, 2019 के द्वारा आपको आवंटित कोड सं०-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- 337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृत्त निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-209/XXVII(2)/2019 दिनांक 22 जुलाई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस०एस० टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या-2690/11(2)/19-42(एम०एल०ए०)/2017 टी.सी. तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमार्ड मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता(पि०क्ष०), लो०नि०वि०, पिथौरागढ़।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/पिथौरागढ़।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
10. अधिसूचारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट।
11. गार्ड फाइल।

Photo copy attested

Amulya

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धरचूला

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव